

**अनुमति की शर्तें।**

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व में नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त किया जा सकता है।

**पुष्प मण्डकी वावजू आवासीय प्रयोजनाधीन**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक ६० दिनांक ०३/०५/२०१९

प्रार्थी श्रीमती मधु वाजु जी मंगाराम सुथार

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९ धारा १९४ (७) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पंज

P.No: 26/वा/२ आरीशन को

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये ₹ ७५०/- जमा है।

जरिये रसीद संख्या १००५/१५२८, १५२९

दिनांक ०३/०५/२०१९ को जमा करा दी है।

*(Signature)*  
प्रारूपकार  
नगर निगम, जोधपुर

*(Signature)*  
३१/०५/१९  
९२५१५३५९००